

2023/144

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी अवतार सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी झूंगरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान हेतु सदस्यता प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद गुम होने बाबत हलफनामा पेश कर निवेदन किया है कि मेरे दादा बसन्त सिंह पुत्र मोदा सिंह जाति जटसिख निवासी झूंगरसिंहपुरा जिला श्रीगंगानगर ने एक बन्द वसीयत दिनांक 19.09.2022 को कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 15.01.2023 को हो गया था। प्रार्थी ने उनके द्वारा दिनांक 19.09.2022 को रखवाई गयी बन्द वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान लखवीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह एवं नरेन्द्र पारीक पुत्र ओमप्रकाश ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द सेवटा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बन्द लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय